



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1471 वर्ष 2026

आसिम
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : ओमवीर सिंह राजपूत
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में यह बयान दिया है कि वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं।
2. उपरोक्त कथन के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

3 फरवरी, 2026
केयू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"